



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180170

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30062 वर्ष 2026**

वाहिद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : मोईज उद्दीन

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 65**

**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. यह आवेदक की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन है और उसका प्रथम जमानत आवेदन माननीय न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल द्वारा दिनांक 15.7.2019 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 45288 वर्ष 2017 में पारित आदेश द्वारा निरस्त किया गया था, किंतु चूंकि माननीय सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति अपना पदभार छोड़ चुके हैं और इस न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है, अतः वर्तमान द्वितीय जमानत आवेदन आज इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोईज उद्दीन तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।

3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 165 सन् 2016, धारा 302

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भा.दं.सं., थाना गढ़ी पुख्ता (अब जनपद शामिल में), जनपद मुजफ्फरनगर के प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाए।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह आवेदक की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन है, किंतु उसके प्रथम जमानत आवेदन का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया गया था और उसे इसलिए निरस्त कर दिया गया था क्योंकि नियत तिथि पर उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सका था।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, किंतु जांच के दौरान सूचनादाता के दूसरे बयान के माध्यम से आवेदक को वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है और यह तथ्य उसकी निर्दोषिता को दर्शाता है।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि संपूर्ण तथ्यों पर विस्तारपूर्वक विचार करने के पश्चात सह-अभियुक्त हैदर को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.7.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया गया है और उसका जमानत आदेश पत्रावली के पृष्ठ 112 पर संलग्न है तथा तथ्यों के आधार पर आवेदक का मामला उसके समान है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का 13 अन्य प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है, किंतु उसके आपराधिक इतिहास की वर्तमान जमानत आवेदन में व्याख्या की गई है।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 13 प्रकरणों में से एक मामला धारा 302 भा.दं.सं. का और एक मामला धारा 395 भा.दं.सं. का था तथा हत्या के प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को दोषसिद्ध भी किया गया है, किंतु हत्या के प्रकरण में दोषसिद्धि के पश्चात उसने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की और उसकी अपील अभी लंबित है तथा अपील के लंबित रहने के दौरान वह जमानत पर है।

9. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान प्रकरण में भी आवेदक दिनांक 6.4.2017 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले नौ वर्ष से अधिक समय से।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रकरण के तथ्यों, जिसमें आवेदक का दीर्घकालिक कारावास भी सम्मिलित है, को देखते हुए केवल उसके आपराधिक इतिहास के आधार पर आवेदक के जमानत आवेदन को लंबित रखना उचित नहीं है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि सह-अभियुक्त हैदर, जिसका आपराधिक इतिहास भी समान प्रकृति का था, इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

11. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतः प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

12. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक आदतन अपराधी प्रतीत होता है तथा वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त उसका 13 अन्य प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या का एक मामला भी सम्मिलित है, जिसमें उसे विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध भी किया गया है, किंतु वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की वर्तमान जमानत आवेदन में व्याख्या की गई है और पूर्ववर्ती हत्या के प्रकरण में उसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा इस न्यायालय की खंडपीठ के आदेश द्वारा वह अपनी अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर है।

13. विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य पर भी विवाद नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त हैदर, जिसका आपराधिक इतिहास भी समान प्रकृति का था, इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और तथ्यों के आधार पर भी आवेदक का मामला उसके समान है।

14. वे इस तथ्य पर भी विवाद नहीं कर सके कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक पिछले नौ वर्ष से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है।

15. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया है।

16. यद्यपि यह आवेदक की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन है, किंतु आवेदक के प्रथम जमानत आवेदन का गुण-दोष के आधार पर निराकरण नहीं किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. जहां तक प्रकरण के गुण-दोष का संबंध है, उससे यह परिलक्षित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं था और जांच के दौरान जब जांच अधिकारी द्वारा सूचनादाता का दूसरा बयान दर्ज किया गया, तब उसने आवेदक तथा सह-अभियुक्त हैदर सहित अन्य अभियुक्तों के नाम बताए। इस तथ्य को देखते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि जांच के दौरान आवेदक को झूठा अभियुक्त बनाया गया है, इस स्तर पर नकारा नहीं जा सकता।

18. इसके अतिरिक्त, सह-अभियुक्त हैदर को भी इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।

19. इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकरण में भी आवेदक अप्रैल, 2017 से जेल में निरुद्ध है, अर्थात् पिछले नौ वर्ष से अधिक समय से।

20. इसके अतिरिक्त, यद्यपि वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का 13 अन्य प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें पूर्ववर्ती हत्या का एक मामला भी सम्मिलित है, जिसमें उसे विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध भी किया गया है, किंतु उसके संपूर्ण आपराधिक इतिहास की वर्तमान जमानत आवेदन में व्याख्या की गई है और पूर्ववर्ती हत्या के प्रकरण में दोषसिद्धि के पश्चात उसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा उसकी अपील के लंबित रहने के दौरान वह जमानत पर है। इसके अतिरिक्त, जमानत पर रिहा किए गए सह-अभियुक्त हैदर का भी समान प्रकृति का आपराधिक इतिहास था।

21. इसके अतिरिक्त, आवेदक के नौ वर्ष से अधिक के दीर्घकालिक कारावास तथा प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय में केवल उसके आपराधिक इतिहास के आधार पर आवेदक के जमानत आवेदन को लंबित रखना उचित नहीं है।

22. इसके अतिरिक्त, आवेदक के नौ वर्ष से अधिक के दीर्घकालिक कारावास को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि शीघ्र विचारण का उसका मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3763** के प्रकरण में अनुच्छेद-10 में भी निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“10. अभियुक्त के पूर्ववृत्त उसके द्वारा की गई जमानत की प्रार्थना पर निर्णय करने के लिए अनेक विचारणीय बातों में से केवल एक है। किसी प्रकरण में, यदि अभियुक्त एक मजबूत प्रथमदृष्टया मामला प्रस्तुत करता है, तो प्रकरण के तथ्यों तथा उसके कारावास की अवधि पर निर्भर करते हुए, उसके पूर्ववृत्त जमानत से इंकार करने का आधार नहीं हो सकते। ऐसा मामला हो सकता है जिसमें न्यायालय केवल दीर्घकालिक कारावास के आधार पर जमानत प्रदान कर सकता है। ऐसे प्रकरण में पूर्ववृत्त प्रासंगिक नहीं हो सकते। किसी प्रकरण में न्यायालय डिफॉल्ट जमानत प्रदान कर सकता है। पुनः, ऐसे प्रकरण में अभियुक्त के पूर्ववृत्त अप्रासंगिक होते हैं। अतः विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, पूर्ववृत्त के विद्यमान होने के बावजूद न्यायालय जमानत प्रदान कर सकता है....?”

24. अतः ऊपर चर्चित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को, विशेष रूप से आवेदक के नौ वर्ष से अधिक के दीर्घकालिक कारावास को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

25. तदनुसार, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

26. आवेदक-वाहिद को उपर्युक्त प्रकरण में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

28. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

31 अगस्त, 2026

एस.के.एम.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।